



## छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2512580, 81

Web:- <http://samvad.cg.nic.in>, email : [cgsamvad@gmail.com](mailto:cgsamvad@gmail.com)

### निविदा संशोधन सूचना

क्रमांक 333/छ.ग.सं/प्रका./2024

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक : 13/06/2024

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा एल.ई.डी. (साईज 12'x8' /96 Sq. Ft.) माउंटेड व्हीकल के साथ कला जत्था के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार हेतु आमंत्रित निविदा क्र. T202429001 दिनांक 15.03.2024 के निविदा पंजीयन , जमा करने एवं खोलने की तिथि एवं नियम शर्तों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. निविदा पंजीयन, जमा करने एवं खालेने की तिथि में संशोधन निम्नानुसार है :-

ऑनलाईन निविदा में भाग लेने हेतु ऑनलाईन पंजीयन की तिथि	दिनांक 26/06/2024	समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 26/06/2024	समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 26/06/2024	समय 4:00 बजे अपरान्ह से

2. निविदा के नियम एवं शर्तों में संशोधन निम्नानुसार है :-

क्र.	संशोधन पूर्व नियम शर्तें एवं कार्य	संशोधन पश्चात् नियम एवं शर्तें एवं कार्य
1	<b>निविदा के बिन्दु क्र. 3.8 उल्लेखित नियम एवं शर्तः-</b> कार्य से संबंधित अनुभव एवं प्रमाण के रूप में एल.ई.डी. माउंटेड व्हीकल के माध्यम से शासन के योजनाओं के प्रचार-प्रसार संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय/ पीएसयू से जारी कार्यादेश/कार्य सम्पादन प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित सत्यापित फोटोग्राफ्स की प्रतियां अपलोड करना होगा।	कार्य से संबंधित अनुभव एवं प्रमाण के रूप में एल.ई.डी. माउंटेड व्हीकल के माध्यम से शासन के योजनाओं के प्रचार-प्रसार संबंधित शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ पीएसयू/निजि संस्था से जारी कार्यादेश/कार्य सम्पादन प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित सत्यापित फोटोग्राफ्स की प्रतियां अपलोड करना होगा।
2	<b>निविदा के बिन्दु क्र. 3.3 उल्लेखित नियम एवं शर्तः-</b> माह दिसम्बर 2023 का GSTR3B रिटर्न की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना था।	माह मार्च 2024 का GSTR3B रिटर्न की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना है।

3	<p>निविदा के बिन्दु क. 4.1 उल्लेखित नियम एवं शर्तः—</p> <p>संस्था के पास स्वयं के स्वामित्व का कम से कम दो वाहन होना अनिवार्य है एवं वाहनों का पंजीयन 07 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। स्वयं के स्वामित्व के वाहन के पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं LED के देयक/दस्तावेज की प्रतियाँ ऑनलाईन अपलोड करना होगा। स्वयं के स्वामित्व के वाहन नहीं होने की स्थिति में स्वयं के स्वामित्व वाले वाहन मालिक/फर्म से वाहन किराया/उपयोग करने संबंधी न्यूनतम 02 वर्ष का अनुबंध निष्पादित होना अनिवार्य है। जिनसे अनुबंध हुआ है उनके स्वामित्व के वाहन का देयक/दस्तावेज एवं निष्पादित अनुबंध की प्रतियाँ ऑनलाईन अपलोड करना होगा।</p>	<p>संस्था के पास स्वयं के स्वामित्व का कम से कम एक वाहन होना अनिवार्य है एवं वाहनों का पंजीयन 07 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। स्वयं के स्वामित्व के वाहन के पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं LED के देयक/दस्तावेज की प्रतियाँ ऑनलाईन अपलोड करना होगा। स्वयं के स्वामित्व के वाहन नहीं होने की स्थिति में स्वयं के स्वामित्व वाले वाहन मालिक/फर्म से वाहन किराया/उपयोग करने संबंधी न्यूनतम 02 वर्ष का अनुबंध निष्पादित होना अनिवार्य है। जिनसे अनुबंध हुआ है उनके स्वामित्व के वाहन का देयक/दस्तावेज एवं निष्पादित अनुबंध की प्रतियाँ ऑनलाईन अपलोड करना होगा।</p>
---	--	--

शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ संवाद  
रायपुर(छ. ग.)